UPME010090842026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मेरठ।

पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार मिश्रा–द्वितीय
(उच्चतर न्यायिक सेवा)
<u>प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र सं0–2592/2026</u>

गुड्डू उर्फ सुलेमान पुत्र सलीम, निवासी–होली चौक, शाहजहांपुर, थाना–किठौर, जिला–मेरठ। हाल निवासी कताई मिल, आईसक्रीम फैक्ट्री के सामने, थाना–परतापुर, जिला–मेरठ।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0राज्य .....विपक्षी

मुकदमा अपराध सं0–317/2026
अं0धारा–108 बी0एन0एस0
थाना–परतापुर, जनपद–मेरठ।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से.....श्री विशाल अहमद, विद्वान अधिवक्ता
उ0प्र0राज्य की ओर से..... श्री के0के0चौबे, डी0जी0सी0(क्रिमि0) एवं
श्री अश्वनी गोयल, सहा0डी0जी0सी0(क्रिमि0)
वादी की ओर से ..... श्री मो0 असलम खान, विद्वान अधिवक्ता

<u>दिनांक–02.07.2026</u>

1. यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/अभियुक्त गुड्डू उर्फ सुलेमान की ओर से मुकदमा अपराध सं0–317/2026, अं0धारा–108 बी0एन0एस0, थाना–परतापुर, जनपद–मेरठ में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. जमानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी/अभियुक्त के पैरोकार का शपथ पत्र दाखिल है, जिसमें यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इस जमानत प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

3. पुलिस प्रपत्र में अभियोजन कथन संक्षेप में यह है कि वादी की पुत्री की शादी वर्ष 2013 में सुलेमान उर्फ गुड्डू के साथ हुई थी। शादी के बाद से लडकी के ससुराल वाले कम दहेज लाने के कारण उससे विवाद करते थे। दिनांक 05.06.2026 को शाम के समय उसकी पुत्री ने अपने भाई जमील को फोन करके बताया कि उसके ससुराल वाले उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। दिनांक 08.06.2026 को थाना परतापुर की पुलिस ने फोन पर सूचना दी कि तुम्हारी

बहन का शव जंगले पर टंगा हुआ है और घर में कोई बडा आदमी नहीं है। सब फरार हो गये है। केवल बहन सकीला के पांचों बच्चों मौजूद थे।

4. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र तथा अपने तर्क में यह कथन किया गया है कि :–

- प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है।
- प्रार्थी/अभियुक्त की शादी मृतका शकीला के साथ लगभग 13 वर्ष पूर्व मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। शादी के बाद मृतका से प्रार्थी के 5 बच्चे पैदा हुये, जिनमें से घटना के समय चार बच्चे मृतका शकीला के पास मौजूद थे।
- प्रार्थी/अभियुक्त के माता–पिता घटना के समय प्रार्थी की एक बेटी को, उसके कान का ईलाज कराने के लिये लेकर किठौर गये थे ।
- प्रार्थी/अभियुक्त को उसकी बेटी द्वारा मृतका के अपने भाई व परिवारजनों से मोबाईल पर बात करने के बाद फांसी खाने की घटना के बारे में फोन पर बताया था।
- मृतका शकीला का कोई सुसाईड नोट बरामद नही हुआ है और न ही प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पुलिस द्वारा कोई ऑडियों–वीडियों के रूप में साक्ष्य दर्शाया गया है।
- प्रार्थी/अभियुक्त के पिता व भाई ने कुछ समय पहले एक लाख रुपये में मृतका के साढे चार तोले के गहने गिरवी रखवा दिए थे, जिनको मृतका वापस लेना चाहती थी, जिस कारण मृतका का अपने मायके वालों से विवाद चल रहा था, जिस कारण कुछ समय पहले मृतका के भाई ने मृतका को अपने घर से भगा दिया था
- प्रार्थी/अभियुक्त की पत्नी मृतका शकीला उसी समय से अवसाद में रहने लगी थी।
- प्रार्थी/अभियुक्त की पत्नी ने जब अपने गिरवी रखे सोने को वापस ना देने व चैक सोने के अंकन 1,92,000/– रुपये देने से मृतका के मायके द्वारा इनकार कर दिया गया तो उस पर मृतका ने अपने भाई, पिता व बुआ से कहा था कि मेरी ससुराल में बेईज्जती हो रही है, इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं।
- वादी का कथन है कि थाना हाजा की पुलिस द्वारा उक्त घटना की सूचना दिये जाने पर मृतका के पिता आसुदीन की ओर से उक्त फर्जी रिपोर्ट दर्ज करायी गई है। जबकि उक्त घटना की सूचना घटना के समय पुलिस को 112 नम्बर पर प्रार्थी/अभियुक्त के मामू द्वारा दी गई थी।

- प्रार्थी/अभियुक्त के ससुराल पक्ष के लोगो द्वारा थाना हाजा की पुलिस से साज करके प्रार्थी व उसके परिवारजनों के विरूद्ध उक्त झूठी रिपोर्ट दर्ज करायी गई है, जिसमें घटना का कोई मोटिव नही दर्शाया गया है।
- प्रार्थी/अभियुक्त की शादी के 13 वर्ष बाद 5 बच्चे पैदा होने पर मृतका को दहेज के लिये प्रताडित किये जाने का झूठा कथन किया गया है, जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ मृतका की ओर से पूर्व में कभी कोई शिकायत नहीं की गई है।
- तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कथित घटना कारित की गयी है। अभियुक्त की भूमिका व कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

6. मैंनें प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, वादी के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में दिये गये दिशा–निर्देशों के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध केस–डायरी व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. निर्णय विधि **स्टेट आफ यू0पी0 बनाम अमरमणि त्रिपाठी (2005)8 एस0सी0सी0–21** में यह धारित किया गया है कि जमानत प्रार्थना–पत्र के निस्तारण के समय न्यायालय को यह विचार करना चाहिए कि क्या अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अथवा युक्ति–युक्त आधार यह विश्वास करने का है कि उसने अपराध कारित किया है? माननीय उच्चतम न्यायालय ने साथ ही साथ आरोप की प्रकृति एवं गम्भीरता, दोषसिद्धि की दशा में दण्डादेश की कठोरता, जमानत प्रदान किए जाने पर अभियुक्त के फरार होने का भय, अभियुक्त का चरित्र, व्यवहार, साधन व स्थिति, अपराध के पुनरावृत्ति की सम्भावना, साक्ष्यों को प्रभावित करने का युक्तियुक्त भय एवं जमानत स्वीकार किए जाने की दशा में न्यायहित समाप्त होने का भय के बिन्दुओं पर विचार किये जाने हेतु दिशा–निर्देशित किया है।

8. प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। उसके विरूद्ध अपनी ही पत्नी को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किये जाने के आरोप हैं।

9. मृतका की शव–विच्छेदन आख्या में उसके शरीर पर निम्न चोटें पायी गयी हैं :–

Incomplete oblique continuous ligature mark measuring 22cm x 2cm present in front & both sides of neck & above thyroid cartilage, 6cm below from right ear, 4cm below from right mid jaw, 5cm below from chin, 1cm below from left mid jaw, just below from left ear, 10cm above from supra-sternal notch. Total neck circumference 30cm. On dissection there are white glistening parchment like subcutaneous tissues present below the ligature mark, trachea & hyoid bone found intact & C2, C3 vertebra found fractured. Abrasion of size 4cm x 1cm present over dorsal surface of right forearm, 7cm above right wrist joint. (This injury about 02 to 03 days old before time of death.) **Cause of death-** Asphyxia as a result of ante mortem hanging.

10. प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त मृतका का पति है। मृतका की मृत्यु प्रार्थी/अभियुक्त के घर में असामान्य परिस्थितियों में हुई है।

11. यह प्रकरण धारा–108 भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत दर्ज किया गया है, जो आत्महत्या के दुष्प्रेरण से सम्बन्धित है तथा केस डायरी में अंकित वादी एवं साक्षियों के बयान में मृतका द्वारा प्रताड़ना से तंग होकर आत्महत्या किये जाने का कथानक है।

12. प्रस्तुत मामले में विवेचना प्रचलित है।

13. प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अधिरोपित आरोप में अधिकतम दण्ड 10 वर्ष का प्रावधानित है। मामला गंभीर प्रकृति का है।

14. अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने का कोई न्यायोचित एवं न्यायसंगत आधार प्रकट नहीं होते हैं। तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त गुड्डू उर्फ सुलेमान द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 02.07.2026

(अरविन्द कुमार मिश्रा–द्वितीय)
सत्र न्यायाधीश,
मेरठ।
I.D.No.U.P.-6030

S.Rastogi (P.A.)